

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 889]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 15, 2014/चैत्र 25, 1936

No. 889]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 15, 2014/CHAITRA 25, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2014

का.आ. 1082(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 06 सितंबर, 2013 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2703 (अ), तारीख 06 सितंबर, 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के जिला चंदौली में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचारपत्रों, अर्थात् दैनिक जागरण (हिन्दी) तारीख 01 अक्टूबर, 2013 और हिन्दुस्तान (हिन्दी) तारीख 01 अक्टूबर, 2013, को प्रकाशित किया गया था;

और, 5 आक्षेप प्राप्त हुए थे सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया तथा अननुज्ञात किया गया और तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और, इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसारण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम : चन्दौली

क्र. सं.	तहसील	ग्रामों की सूची	गाटा सं.	जमीन का प्रकार	जमीन की प्रकृति	अधिग्रहीत क्षेत्रफल हे. में	भू-स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	चन्दौली	1. बिरैली	86	निजी	कृषि	0.0400	मूराहू, रामपति, गति, हरबंस, किशोर, शिवमूरत पुत्र प्रहलाद, मंगल पुत्र बदन
		2. बरठी कमरौर	631/122 1	निजी	कृषि	0.0040	संजय कुमार, अनिल कुमार ।
		3. जसुरी	3	निजी	कृषि	0.0530	राजेन्द्र, नरेन्द्र पुत्र रमा शंकर, रवि प्रकाश पुत्र देवी शंकर, सुनील पुत्र श्रीप्रकाश, अखिलेश कुमार पुत्र मधुसूदन, योगेन्द्र नाथ, महेन्द्र नाथ पुत्र लल्लन, विजय कुमार पुत्र बब्बन, अमित कुमार पुत्र रामराज, तारकेश्वर, मृत्युन्जय पुत्र शिवमूरत, गुलजारी देवी पत्नी विजई, रमावती देवी पत्नी रामदुलार
		4. गोबरहा	161	निजी	कृषि	0.0460	भूदान समिति
		5. चन्दौली	822	निजी	कृषि	0.0400	शिवनाथ पुत्र जेहली, शिवलोचन उर्फ त्रिलोचन पुत्र विश्वनाथ
		6. बनौलीखुर्द	391/456	निजी	कृषि	0.0192	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी हरिद्वार
		7. छित्तो	279	निजी	कृषि	0.0200	भगवान पुत्र रामू
		8. रमऊपुर	43	निजी	कृषि	0.0520	सोमारु पुत्र बच्चन, सुरेन्द्र, रविन्दर पुत्रगण बुद्धराम, चन्द्रिका, चन्द्रशेखर पुत्र जयश्री, देव कुमार उर्फ पप्पू पुत्र रामनरेश, सुरेश पुत्र राम नरेश
			10	निजी	कृषि	0.1224	शामा पुत्र सूचित, कुबेर पुत्र सूचित, बेचन, सेचन पुत्रगण बख्स, विजयी, पिन्टू, पप्पू पुत्रगण रामगहन
		9. जफरपुर	35	निजी	कृषि	0.0343	राजन, मनोज, छोटे लाल, संजय कुमार, रूपलाल पुत्र महेन्द्र प्रसाद, सवेरी पत्नी महेन्द्र प्रसाद
		10. धरना	711	निजी	कृषि	0.4010	मेवा लाल, राजमति, रामा देवी, सोना
2	सकलडीहा	11. डिग्घी	495	निजी	कृषि	0.1260	रामविलास शर्मा पुत्र लखन रामवली उर्फ असरफी विश्वकर्मा पुत्र लखन
		12. अकबरपुर	98	निजी	कृषि	0.0130	झारखण्ड पुत्र शिवसरन
			99	निजी	आवासीय	0.0419	रजवन्ति पति झम्मन, सुदामी पत्नी रामकिशुन
			102	निजी	आवासीय	0.0098	पनरी देवी पत्नी रामलाल, सुमन सोनकर पत्नी बेचन सोनकर, पवन सोनकर, अमन सोनकर पुत्र बेचन कुमार, पन्नालाल, होरीलाल पुत्रगण स्व० मेवालाल

		104	निजी	आवासीय	0.5390	मिश्री लाल, मिठाई लाला, खर्बई लाल, बेचन कुमार पुत्र श्याम लाल, बसावन, बलिराम पुत्र शिवदत्त
		106	निजी	आवासीय	0.2885	पन्ना लाल, होरी लाल, मेवा, राम नाथ झम्मन, श्याम लाल पुत्र सुख देव, धनरी, राम लाल, राम जन्म, राम मूरत, राम सेवक, राम देव पुत्र राम लाल, राम रूप, जगरूप पुत्र गोवर्धन, शिव दास पुत्र रामरूप
	13. गंजख्वाजा	114	निजी	कृषि	0.0120	मथुरा पुत्र दयाराम
		67	निजी	कृषि	0.0040	चन्द्रिका, अंबिका, भाई लाल, बचाउ पुत्र भुल्लन
	14. रेवसा	252/111 0	निजी	कृषि	0.1010	दूधनाथ, रूपनाथ, रमेश, धनेश पुत्रगण शिवकुमार
	15. बसरतिया	158	निजी	कृषि	0.0880	शान्ति देवी पत्नी हीराराम
	16. धूसखास	19	निजी	कृषि	0.0040	रामबली, श्यामवती, राजबली पुत्र राममूरत, सतना देवी पत्नी राम मूरत, सन्तोष पुत्र निर्मल, शान्ति देवी पत्नी निर्मल, निर्मल पुत्र राम मूरत, हरिद्वार, चन्द्र किशोर पुत्र राम मूरत
		324	निजी	कृषि	0.1100	रामसुधार पुत्र चन्द्रकिशोर
	17. पटपरा	657	निजी	कृषि	0.1104	गोपाल राम, भूपलाल पुत्रगण वंशी, इन्द्रदेवी पत्नी वंशी, कल्ले पुत्र राम गुलाम

[फा. सं. 2013/एल.एम.एल./12/7/ई.सी./464]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2014

S.O. 1082(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 2703(E), dated the 6th September, 2013 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 6th September, 2013 and issued under sub-section (1) of Section 20(A) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the special railway project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Chandauli in the State of Uttar Pradesh;

And Whereas, the substance of the said notification was published in the daily local Newspapers, namely, Dainik Jagran (Hindi) dated the 1st October, 2013 and Hindustan (Hindi) dated the 1st October, 2013 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act;

And whereas, 5 nos. of objections were received and the same have been considered disallowed by the Competent Authority accordingly orders have been passed;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;.

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the State of Uttar Pradesh.

Name of the District : Chandauli

Sr. No.	Tahsil	Village	Gata No.	Type of Land	Nature of Land	Area	Name of Related persons/Land Owners
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Chandauli	(1) Biraili	86	Pvt.	Agrl.	0.0400	Murahu, Rampati, Gatti, Harbansh, Kishor, Shivmurat s/o Prahlad, Mangal s/o Badan
		(2) Barathi Kamraur	631/1221	Pvt.	Agrl.	0.0040	Sanjay Kumar, Anil Kumar s/o Subedar
		(3) Jasuri	3	Pvt.	Agrl.	0.0530	Rajendra, Narendra s/o Rama Shankar, Ravi Prakash s/o Devi Shankar, Sunil s/o Sriprakash, Akhilesh Kumar, s/o Madhusudan, Yogendra Nath, Mahendra Nath s/o Lallan, Vijay Kumar s/o Babban, Amit Kumar s/o Ramraj, Tarkeshwar, Mritunyaj s/o Shivmurat, Guljari devi w/o Vijayi, Ramawati Devi w/o Ramdular
		(4) Gobraha	161	Pvt.	Agrl.	0.0460	Bhudan Smiti
		(5) Chandauli	822	Pvt.	Agrl.	0.0400	Shivnath s/o Jehli, Shivlochan urph Trilochan s/o Vishvnath
		(6) Banauli Khurd	391/456	Pvt.	Agrl.	0.0192	Smt. Sushila Devi w/o Haridwar
		(7) Chhitto	279	Pvt.	Agrl.	0.0200	Bhagwan s/o Ramu
		(8) Ramaupur	43	Pvt.	Agrl.	0.0520	Somaru s/o Bachhan, Surendra, Ravindra s/o Budharam, Chandrika, Chandrasekhar s/o Jaysri, Dev Kumar urph Pappu s/o Ramnaresh, Suresh s/o Ram Naresh
			10	Pvt.	Agrl.	0.1224	Shama s/o Suchit, Kuber s/o Suchit, Bechan, Sechan s/o Bakhsh, Vijayi, Pintu, Pappu s/o Ramgahan
		(9) Jafarpur	35	Pvt.	Agrl.	0.0343	Rajan, Manoj, Chotelal, Sanjay Kumar, Rooplal s/o Mahendra Prasad, Saveri w/o Mahendra Prasad
2.	Sakaldiha	(10) Dharna	711	Pvt.	Agrl.	0.4010	Kunj Bihari s/o Syam Bihari, Bishmilla s/o Suleman Mo. Aijaj s/o Suwas, Juweda w/o Suwas, Bahadur, Sahadur, Sunnar s/o Parosottam, Ballu urph Govind, Bhaiya Lal, Harischandra s/o Alagu, Manani Devi w/o Algu, Bachhan s/o Sajjan, Moti s/o Tillu
		(1) Digghi	495	Pvt.	Agrl.	0.1260	Ramvilash Sharma s/o Lakkhan, Rambali urph Ashraphi Vishvkarma s/o Lakkhan

		(2) Akabarpur	98	Pvt.	Agri.	0.0130	Jharkhand s/o Shivsaran
			99	Pvt.	Res.	0.0419	Rajwanti w/o Jamman, Sudami w/o Ramkishun
			102	Pvt.	Res.	0.0098	Panari Devi w/o Ramlal, Suman Sonakar w/o Bechan Sonakar, Pawan Sonakar, Aman Sonakar s/o Bechan Kumar, Pannalal, Horilal s/o Late. Mewalal
			104	Pvt.	Res.	0.5390	Mishri Lal, Mithai Lal, Khabai Lal, Bechan Kumar s/o Shyam Lal, Basawan, Baliram s/o Shivdatta
			106	Pvt.	Res.	0.2885	Panna Lal, Hori Lal, Mewa, Ramnath, Jhamman, Shyam Lal s/o Sukh Dev, Dhanari, Ramlal, Ramjanm, Rammurat, Ramsevak, Ramdev s/o Ramlal, Ramroop, Jagroop s/o Gowardhan, Shivdas s/o Ramroop
		(3) Ganjkhwaja	114	Pvt.	Agri.	0.0120	Mathura s/o Dayaram
			67	Pvt.	Agri.	0.0040	Chandrika, Ambika, Bhailal, Bachau s/o Bhullan
		(4) Revsa	252/1110	Pvt.	Agri.	0.1010	Doodhnath, Roopnath, Ramesh, Dhanesh s/o Shivkumar
		(5) Basaratiya	158	Pvt.	Agri.	0.0880	Shanti Devi w/o Heeraram
		(6) Dhooskhas	19	Pvt.	Agri.	0.0040	Rambali, Shyamwati, Rajbali s/o Rammurat, Satna Devi w/o Ram Murat, Santosh s/o Nirmal, Shanti Devi w/o Nirmal, Nirmal s/o Rammurat, Haridwar, Chandra Kishor s/o Rammurat
		(7) Patpara	657	Pvt.	Agri.	0.1104	Gopal Ram, Bhuplal s/o Banshi, Indradevi w/o Banshi, Kallu s/o Ramgulam

[F. No. 2013/LML/12/7/EC/464]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities-1)